न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. [illegible] 2022 तारीख रजू 03.02.2022

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

सिविल आईडी नम्बर 50 2022

उनवान

[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—सायलान 04

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान 03

फर्द अहकाम

दिनांक	
03.02.2022	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात से बेदखल, तजावत नहीं करने, निर्माण नहीं करने, रहनव्यय नही करने, कृषि से अकृषि मे तब्दील नहीं करने हेतु गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 377 रकबा 19 एयर, 380 रकबा 29 एयर वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखने एवं वास्ते तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 04.03.2022 को पेश हों। ([illegible] सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
7.2.2022	पत्रावली आज मिसल तलबी पर पेश हुई। सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील ने अवगत कराया कि सायलान प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। सायलान प्रकरण वापस लेना चाहते हैं। अतः प्रकरण 18/2022 [illegible] बनाम [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार [illegible] में जमा हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ando
Date: 2022.06.08 16:06
Reason: SelfAttested